

RBE No. 88 /2019

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

No. E (NG)II/2005/RC-4/SC/2

New Delhi, dated 31 /05/2019

The General Manager (P)
All Zonal Railways/Production Units
CORE/Allahabad & Metro Railway, Kolkata.

Sub: Extension of the scheme of hiring of para-medical categories in Group 'C' on contract basis.

Ref: This office letter No. 2017/Trans/01/Policy/Pt.I dated 17.01.2018.

In view of non-availability of regular staff for filling up of posts in para-medical categories as yet and with a view to avoid disruption of medical facilities, it has been decided by the Board to extend the above scheme of filling up of posts in para-medical categories in Group 'C' on contract basis beyond 30.6.2019 for nine months i.e. up to 31.03.2020, on the terms and conditions as stipulated vide Board's letter of even number dated 25.06.2014 and No. 2017/Trans/01/Policy/Pt.I dated 12.04.2018. It must be ensured that suitable break is invariably given between successive contracts. Efforts may also be made to appoint fresh candidates for the above contract. This extension of para-medical staff would be subject to the condition that contractual staff be discharged immediately on joining of Railway Recruitment Board (RRB) selected candidates.

2. This issues with the concurrence of Finance Directorate of the Ministry of Railways (Railway Board).


(Neeraj Kumar)
Director Estt. (N)II
Railway Board.

No. E(NG)II/2005/RC-4/SC/2

New Delhi, dated 31 /05/2019

Copy to:

1. FA& CAOs of Zonal Railways/PUs including RDSO/Lucknow, RE/Allahabad and Metro Railway/Kolkata.
2. Dy. Comptroller & Auditor General of India (Rlys), Room No. 224, Rail Bhawan, New Delhi-110001.


for Financial Commissioner/Railways

Copy to:

3. The General Secretary, NFIR, Room No. 256-E, Rail Bhawan, New Delhi.
4. The General Secretary, AIRF, Room No. 253, Rail Bhawan, New Delhi.


for Secretary /Railway Board

Copy to: F(E) Spl Branch/Railway Board & Health Branch.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं. ई (एनजी) II/2005/आरसी-4/एससी/2

नई दिल्ली, दिनांक 31/05/2019

महाप्रबंधक (कार्मिक),
सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां,
केन्द्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन/इलाहाबाद एवं मेट्रो रेलवे, कोलकाता।

विषय : ठेके के आधार पर ग्रुप 'सी' में पैरामेडिकल कोटियों को किराए पर लेने की योजना की समयावधि बढ़ाना।

संदर्भ : इस कार्यालय का दिनांक 17.01.2018 का समसंख्यक पत्र संख्या 2017/ट्रांसफॉर्मेशन 01/पॉलिसी पार्ट

पैरामेडिकल कोटियों में पदों को भरने के लिए अभी तक नियमित कर्मचारियों के उपलब्ध न होने को ध्यान में रखते हुए और चिकित्सा सुविधाओं में होने वाले व्यवधान से बचने की दृष्टि से बोर्ड द्वारा ग्रुप 'सी' के पैरामेडिकल कोटियों के पदों को ठेके के आधार पर भरने की उपर्युक्त योजना को बोर्ड के 25.06.2014 के समसंख्यक पत्र एवं बोर्ड के पत्र संख्या 2017/ट्रांसफॉर्मेशन/01/पॉलिसी/पार्ट-1 दिनांक 12.04.2018 के तहत यथा अनुबंधित निबंधन एवं शर्तों के आधार पर 30.06.2019 से 09 माह अर्थात् 31.03.2020 तक बढ़ाने का विनिश्चय किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि क्रमागत ठेकों के बीच उपयुक्त समयांतर अनिवार्य रूप से दिया जाता है। उपर्युक्त ठेके के लिए नए उम्मीदवारों को नियुक्त करने का भी प्रयास किया जाए। पैरामेडिकल कर्मचारियों का आगे विस्तार इस शर्त के साथ किया जाएगा कि रेल भर्ती बोर्ड द्वारा चुने गए उम्मीदवारों के जवाइन करने पर ठेके वाले कर्मचारियों को तत्काल कार्यभार मुक्त कर दिया जाए।

2. इसे रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

(नीरज कुमार)

निदेशक स्थापना (अराज. संवर्ग) II
रेलवे बोर्ड

सं. ई (एनजी) II/2005/आरसी-4/एससी/2

नई दिल्ली, दिनांक 31/05/2019

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां, अ.अ. एवं मा. सं./ लखनऊ, केन्द्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन/ इलाहाबाद और मेट्रो रेलवे/ कोलकाता।
2. भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली - 110001.

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

प्रतिलिपि प्रेषित :

3. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर, कमरा नं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली।
4. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, कमरा नं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली।

कृते सचिव/ रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित :

एफ(ई) विशेष शाखा/ रेलवे बोर्ड और स्वास्थ्य शाखा।